नगरीय प्रशासन निदेशालय
नगर विकास एवं आवास विभाग
झारखण्ड सरकार

दूरभाष सं०: 0651-2401955, 2401182(Fax), ई–मेल:- director.ma.goj@gmail.com

पत्रांक:– 01/न०प्र०नि०/PMAY/Land-Chaibasa/55/2016 1376 दिनांक– 24/09/2020

प्रेषक,

विनय कुमार चौबे, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
दुमका नगर परिषद्।

विषय:– **PMAY(U) अंतर्गत दुमका नगर परिषद् के लिए हस्तांतरित भूमि (स्थान–दुधानी, दुमका) के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को क्रियान्वित करने हेतु दुमका नगर परिषद् द्वारा भूमि चिन्हित की गई है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

| स्थान का नाम | थाना नं० | खाता सं० | प्लाट सं० | रकबा (एकड़ में) | भूमि का स्वामित्व | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दुधानी | 06 | अनाबादी | 240 | 1.73 | निकाय की भूमि NOC प्राप्त है। | उक्त भूमि अतिक्रमित है। |

डेवलपर एवं जुडको के अनुसार उक्त आवासीय प्रायोजन हेतु चिन्हित भूमि अतिक्रमित है। अतः आवास निर्माण के लिए चिन्हित भूमि में से अतिक्रमण हटाने हेतु यथाशीघ्र संबंधित कार्रवाई करे।

विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) झारखण्ड सरकार की अत्यंत महत्वकांक्षी योजना है। अतः कार्य की महत्वता को देखते हुए उक्त समस्या का निदान करते हुये एक सप्ताह के अन्दर विभाग एवं निदेशालय को सूचित करें।

विश्वासभाजन
24/9/2020
(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:– 01/न०प्र०नि०/PMAY/Land-Chaibasa/55/2016 1376 राँची, दिनांक:– 24/09/2020
प्रतिलिपि:– परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/2020
सरकार के सचिव।

Scanned with CamScanner